न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : संदीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 57 **दायरा दिनांक : 24.04.2023**

याकुब खां पुत्र इलाहीबक्श जाति मुसलमान निवासी बिरधवाल स्टेशन तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. अर्जुन सैनी पुत्र श्री किशोरीलाल जाति सैनी निवासी सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. पवन सैनी
3. महेश सैनी
4. संजय सैनी
5. सुनील सैनी

पुत्रगण श्री अर्जुन सैनी अकवाम सैनी निवासी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

6. शाहरूख खां
7. सराज खां
8. नियाज खां
9. सनाक खां

पुत्रगण नियामत अली अकवाम मुसलमान निवासीयान बिरधवाल स्टेशन तहसील सूरतगढ़।

10. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

1. श्री सुरेन्द्र सुथार, अभिभाषक प्रार्थी 1
2. श्री भगवान दत्त शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5
3. श्री जसवीर सिंह बराड़, अभिभाषक अप्रार्थीगण सं. 6 ता 9
4. पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ़।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

निर्णय **दिनांक : 16.01.2024**

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई, पक्षकारान के अभिभाषक उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया, विचारण तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से चक 7.415 आर.डी.एल. तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 29/24 के प.न. 136/25 (14) के किला सं. 14 ता 17 में 1.012 है. 24, 25 में 0.506 है. = 1.518 है. कमाण्ड व प.न. 136/33 (15) के कि.न. 11 ता 22 में 3.036 है. कमाण्ड व कि.न. 23 ता 25 में 0.759 है. अ.क. भूमि व प.न. 136/34 (16) के कि.न. 4 में 0.253 है. अ.क. इस प्रकार कुल 5.566 है. (4.554 है. क., 1.012 है. अ.क.) खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसी प्रकार अप्रार्थी सं. 1 ता 5 के नाम से चक 7.415 आर.डी.एल. के खाता सं. 4/32 के प.न. 136/34 (16) के कि.न. 3 में 0.253 है. 5 ता 8 में 1.012 है. = 1.265 है. अ.क. व अप्रार्थी सं. 6 के नाम से इसी चक 7.415 आर.डी.एल. के खाता सं. 51/32 (136) के कि.न. 8, 9 में 0.506 है. अप्रार्थी सं. 7 सराज खां के नाम से चक 7.415 आर.डी.एल. के खाता स. 58/38 के प.न. 136/33 (15) के कि.न. 4, 5 में 0.506 है. अ.क. भूमि व अप्रार्थी सं. 8 नियाज खां के नाम से चक 7.415 आर.डी.एल. के खाता सं. 38/1 प.न. 136/33 (15) के कि.न. 6, 7 में 0.506 है. व प्रतिवादी सं. 9 सनाक

क्रमशः पेज 2 पर.....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

खां के नाम से चक 7.415 आर.डी.एल. के कि.न. 2, 3 में 0.506 है. क./अ.क. भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि में नाजायज रूप से कब्जा करने की फिराक में उनको अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर इकतरफा सुनकर प्रार्थी के हक में स्थगन आदेश जारी किया गया व अप्रार्थीगण को तलब किया गया, उनकी ओर से अभिभाषक उपस्थित आये और उनके द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी सं 1 ता 5 के नाम से चक 7.415 आर.डी.एल. के प.न. 136/34 के कि.न. 3, 5 ता 8 में 1.265 है. भूमि खातेदारी है इसी प्रकार अप्रार्थी सं. 6 ता 9 के नाम प्रार्थी से अलग भूमि दर्ज है उसी पर कब्जा काश्त है अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि पर कतई कब्जा नहीं करना चाहते। अप्रार्थी सं. 1 ता 5 के अभिभाषक ने विशिष्ट रूप से कथन किया कि तहसील सूरतगढ़ के चक 7.415 आर.डी.एल. के प.न. 136/34 के कि.न. 4 में 0.253 है. अ.क. रकबा ही प्रार्थी का है प्रार्थी इस 1.00 बीघा की आड़ में अप्रार्थी सं. 1 ता 5 के नाम अंकित कि.न. 3 में 0.253 है. 5 ता 8 में 1.012 है. भूमि है जिसमें प्रार्थी कि.न. 3 व 5 ता 8 में प्रार्थी याकूब खां अपने प.न. 136/34 कि.न. 4 की आड़ में अतिचार का प्रयास करता रहता है जिसका उसे कतई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 ता 5 द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी को पाबंद किया जावें कि वह चक 7.415 आर.डी.एल. के प.न. 136/34 का कि.न. 3 व 5 ता 8 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करे इस हेतू प्रार्थी के विरूद्ध स्थगन की मांग की। इसी प्रकार अप्रार्थी सं. 6 ता 9 ने भी प्रार्थी के कथनों से इन्कारी की व निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी सं. 6 ता 9 की प्रार्थी से भिन्न खाता की भूमि है प्रार्थी ने नाजायज रूप से परेशान करने के लिए स्थगन की मॉग रहा है ओर स्थगन की आड में प्रार्थी अप्रार्थीगण को भूमि से बेदखल करने को आमादा है उसका प्राथमिक रूप से मामला नहीं बनता, सुविधा व संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

उभयपक्षों के अभिभाषकगण के तर्क सुनने के पश्चात पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया एवं पाया कि प्रार्थी का जमाबंदी अनुसार चक 7.415 आर.डी. एल. के प.न. 136/34 में मात्र कि.न. 4 है, कि.न. 3 व 5 ता 8 अप्रार्थी सं. 1 ता 5 का है प्रार्थी कि.न. 4 की सुरक्षा मॉग सकता है किन्तु कि.न. 3 व 5 ता 8 में उसे कतई प्रवेश का अधिकार नहीं है उसकी सुरक्षा का अधिकार अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 को है इसी प्रकार प.न. 136/25 के कि.न. 14 ता 17, 24, 25 प्रार्थी का है इसी प्रकार प.न. 136/33 के कि.न. 11 ता 22, 23 ता 25 प्रार्थी का है इन्हीं पत्थर नम्बर में अप्रार्थीगण सं. 6 ता 9 की भूमि भी है जिसके कि.न. भिन्न है प्रार्थी को अपनी भूमि की सुरक्षा का अधिकार है किन्तु पूर्ण पत्थर नम्बर में अन्य काश्तकारों की भूमि में प्रवेश का उसे कतई अधिकार नहीं है। प्रार्थी पर यह आरोप लगाया गया है कि वह स्थगन की आड़ में अन्य काश्तकारों की भूमि पर अतिचार कर रहा है व स्थगन का दुरूपयोग कर रहा है जिसका शपथ पत्र के

क्रमशः पेज 3 पर....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

माध्यम से खण्डन नहीं किया गया है इस अवस्था में विधि के सिद्धांतो का प्राकृतिक न्याय का पालन करते हुए उचित समझा जाता है कि स्थगन में स्पष्ट किया जावें कि स्थगन में अंकित भूमि की सीमा तक ही अप्रार्थीगण हस्तक्षेप ना करें किन्तु प्रार्थी को भी पाबंद किया जावें कि वह अपने नाम से अंकित भूमि के अतिरिक्त अन्य काश्तकारों के नाम से अंकित भूमि में हस्तक्षेप ना करें।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थीगण वाके तहसील सूरतगढ़ के चक 7.415 आर.डी.एल. के खाता सं. 29/24 के प.न. 136/25 (14) के किला सं. 14 ता 17 में 1.012 है. 24, 25 में 0.506 है. = 1.518 है. कमाण्ड व प.न. 136/33 (15) के कि.न. 11 ता 22 में 3.036 है. कमाण्ड व कि.न. 23 ता 25 में 0.759 है. अ.क. भूमि व प.न. 136/34 (16) के कि.न. 4 में 0.253 है. अ.क. इस प्रकार कुल 5.566 है. (4.554 है. क., 1.012 है. अ.क.) खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ता फैसला वाद ना करें साथ ही प्रार्थी को पाबंद किया जाता है कि वह चक 7.415 आर.डी.एल. के प.न. 136/34 के कि.न. 3 व 5 ता 8 की 1.265 है. भूमि जो कि अप्रार्थी सं. 1 ता 5 की है में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करें। इसी प्रकार प्रार्थी पाबंद रहे कि वह अप्रार्थीगण सं. 6 ता 9 के नाम से अंकित भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। भूमि नपाई पर यह स्थगन कतई प्रभावी नहीं होगा, भूमि नपाई का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर पक्षकारों की भूमि का ज्ञान नियमानुसार कराने को सक्षम अधिकारी पाबंद रहेगा।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया बाद निर्णय पत्रावली दाखिल दफतर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)